

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- cnodlb@gmail.com

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा/डीएलबी/14एफसी/परफो./2016-20/21251

दिनांक 17.03.2017

27

--: स्वीकृति आदेश :-

विषय : 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कार्य निष्पादन अनुदान राशि बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

निर्देशानुसार चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान राशि रूपये 17700.00 लाख में से आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर स्वयं के हिस्से की राशि रूपये 390.41 लाख एवं अवशेष राशि पुनर्वितरण के आधार पर राशि रूपये 1452.98 लाख कुल राशि रूपये 1843.39 लाख (अक्षरे रूपये अठारह करोड़ तैतालीस लाख उनतालीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए आवंटित किये जाने हेतु विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद	बजट प्रावधान	(राशि लाखों में)
मांग संख्या - 29	स्वीकृत प्रावधान	5371.95
2217 - शहरी विकास	पुनर्विनियोजन	(-) 3528.56
80 - सामान्य	पूर्व स्वीकृति पर व्यय	0.00
191 - नगर निगमों को सहायता	इस स्वीकृति पर व्यय	1843.39
(35) - 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	शेष	0.00
[02] - 14वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना भिन्न)		

आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे। यदि राशि का व्यय दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया तो निकाय के आयुक्त व लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी उस कृत्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 271700137 दिनांक 17.03.2017 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।


(पर्वन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा/डीएलबी/14एफसी/परफो./2016-20/21252-382

दिनांक: 17.03.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
05. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
07. जिला कलेक्टर, अजमेर राजस्थान।

08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के क्रम में बजट का आवंटन कर दिया गया है अतः कोषालय से बिल पारित करवाकर अविलम्ब राशि का हस्तान्तरण विभाग के ICICI बैंक खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं उक्त स्वीकृति अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से राशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तान्तरित करावें।
14. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निकाय के सम्मुख अंकित राशि निकाय के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावें। यदि उक्त राशि निकाय के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नहीं होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141-2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। इस राशि का उपयोग आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे।
15. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त राशि के हस्तान्तरण की सूचना आपके क्षेत्राधिकार की निकायों से संकलित कर सुनिश्चित करावें।
16. शाखा प्रबन्धक, ICICI Bank Ltd., राजापार्क शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित निकायों के बैंक खाते में अविलम्ब हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावें।
17. प्रभारी वेब साईट, निदेशालय/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
18. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा।
19. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलस राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी